[2018] 3 एस. सी. आर 83

/

मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड वी.

सरकार और चौधरी उद्यम निजी सीमाएँ

(सिविल अपील संख्या 2018 की 3322-3323) 27 मार्च, 2018

/

[कुरियन जोसेफ और

मोहन एम**.** शांतनागौदर**,** जे**.** जे**.]**

कंपनी अधिनियम, 2013:धारा 58-पंजीकरण से इनकार और इनकार के खिलाफ अपील-आयोजितःएस के अंतर्गत 58(2), सार्वजनिक कंपनी में किसी भी सदस्य की प्रतिभूतियाँ या ब्याज स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं-हालाँकि, यू/एस।58(4), यह सार्वजनिक कंपनी के लिए खुला है कि वह पर्याप्त कारण के लिए प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करे-उस हद तक,धारा 58 (4) को अनुमति प्राप्त निशुल्क हस्तांतरण पर सीमित प्रतिबंध के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।58(2) – पर्याप्त कारण पर हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार विधि का प्रश्न है और क्या किसी मामले में इनकार करने के लिए दिखाया गया कारण पर्याप्त है या नहीं, विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न हो सकता है-तथ्यों पर, चूंकि शेयरों के पंजीकरण पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, प्रतिवादी ने कंपनी लॉ बोर्ड से संपर्क किया, जिसने पंजीकरण का निर्देश दिया-अपीलकर्ता ने अपील में विशिष्ट आधार लिया और पर्याप्त आधार पर हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करने के अपने अधिकार के बारे में विधि के प्रश्न उठाए, जो एक वैधानिक अपील है।10 एफ, उच्च न्यायालय को विधि के अन्य प्रश्नों के बीच इसी पर विचार करना चाहिए था-कंपनी लॉ बोर्ड का विचार था कि शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब हस्तांतरण किसी भी विधि के अंतर्गत अन्यथा अवैध या अस्वीकार्य हो-धारा 58 (4) में उपयोग की गई "पर्याप्त कारण के बिना" अभिव्यक्ति के अनुसार, कहा गया दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इनकार विधि के उल्लंघन या किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर हो सकता है-किसी दी गई स्थिति में हितों का टकराव भी एक कारण हो सकता है-क्या यह पंजीकरण से इनकार करने के लिए दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पर्याप्त है, यह कंपनी लॉ बोर्ड को तय करना है क्योंकि पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार दिया गया है-कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना कि पूरा हस्तांतरण है58.

/

/

/

/

/

/

83 ए.

84 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 3 एस. सी. आर.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार और अपीलीय उपाय कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **58** के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं।**2013** के अधिनियम की धारा **58 (2)** अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी में किसी भी सदस्य की प्रतिभूतियां या ब्याज स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं।हालांकि, धारा **58 (4)** के अंतर्गत , सार्वजनिक कंपनी के लिए पर्याप्त कारण के लिए प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार है।उस हद तक, धारा **58 (4)** को धारा **58 (2)** के अंतर्गत अनुमत निशुल्क हस्तांतरण पर एक सीमित प्रतिबंध के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।कंपनी अधिनियम, **1956** की धारा **10** एफ में प्रावधान है कि कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विधि के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।पर्याप्त कारण पर स्थानांतरण के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार विधि का प्रश्न है और क्या इनकार के लिए दिखाया गया कारण किसी दिए गए मामले में पर्याप्त है या नहीं, विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न हो सकता है।**[**पैरा **11,12] [92-**एफ**; 94-**ए**-**सी**]**

/

/

/

1.2 तत्काल मामले में, कंपनी द्वारा शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।चूँकि कंपनी विधि बोर्ड ने सभी उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई दलीलों पर गौर किया है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वे दलीलें अपीलार्थी द्वारा शेयरों को हस्तांतरित करने से इनकार करने के लिए ली गई आधार हैं।अपीलार्थी ने अपील के ज्ञापन में कई आधार लिए हैं और इन पहलुओं पर विधि पर भी सवाल उठाए हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील में जोर दिए गए विधि के मुख्य प्रश्नों में से एक सीमा से संबंधित है।लेकिन अपील ज्ञापन में

लिए गए कई आधारों और विशेष रूप से अपील में उठाए गए विधि के प्रश्न ों और आधारों को देखने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सीमा पर विधि के प्रश्न के अलावा विधि के अन्य प्रश्न उठाए थे।इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिनांक **1** के आदेश में अपने विचार में गलती की है कि "वर्तमान अपील में विधि का एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कंपनी विधि बोर्ड के पास कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **5** के अंतर्गत याचिका की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है।**[**पैरा **13,14] [94-**डी**.** एफ**.] 1.3** आदेश **15.09.2017** के अनुसार, हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए समीक्षा पर विचार करने से इनकार कर दिया कि यह ए से परे है।

/

/

/

/

85

मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड बनाम सरकार और चौधरी उद्यम पी. वी. टी. लिमिटेड. [कुरियन, जे.] ए.

समीक्षा का दायरा और यह कि इसे केवल एक बेहतर मंच द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए रुख को तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और विश्लेषण की गई कानूनी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।अपीलार्थी ने अपील में विशिष्ट आधार लेने और पर्याप्त आधार पर हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करने के अपने अधिकार के बारे में विधि के सवाल उठाने के बाद, कंपनी अधिनियम, **1956** की धारा **10** एफ के अंतर्गत एक वैधानिक अपील होने के कारण, उच्च न्यायालय को विधि के अन्य प्रश्नों के साथ-साथ इस पर भी विचार करना चाहिए था।**[**पैरा **15,16] [94-**जी**-**एच**]**

/

1.4 ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी विधि बोर्ड का विचार था कि शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब हस्तांतरण अन्यथा किसी भी विधि के अंतर्गत अवैध या अस्वीकार्य हो।धारा **58 (4)** में प्रयुक्त "पर्याप्त कारण के बिना" अभिव्यक्ति को देखते हुए, उस दृष्टिकोण की सराहना करना मुश्किल है। इनकार विधि के उल्लंघन या किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर हो सकता है।किसी भी स्थिति में हितों का टकराव भी एक कारण हो सकता है।पंजीकरण से इनकार करने के लिए दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में क्या यह पर्याप्त है, यह कंपनी विधि बोर्ड को तय करना है क्योंकि पीड़ित पक्ष को अपील करने का विधि दिया गया है।कंपनी विधि बोर्ड के

समक्ष अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार किया जाना चाहिए था कि पूरा हस्तांतरण प्रत्यर्थी कंपनी की पृष्ठभूमि में भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है।इस मामले को ध्यान में रखते हुए**,** कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित **16.09.2015** दिनांकित आदेश**, 2015** के ए**.** पी**.** ओ**.** संख्या **448** में **2015** के ए**.** सी**.** ओ**.** संख्या **199** में दिनांकित **15.10.2015** और **2016** के आर**.** वी**.** डब्ल्यू**.** ओ**. 59** में दिनांकित **15.09.2017** और **2015** के ए**.** पी**.** ओ**. 448** में **2016** के ए**.** सी**.** ओ**. 171** को अलग कर दिया गया है।मामला कंपनी विधि बोर्ड**,** अब राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को कंपनी अधिनियम**, 1956** की धारा **58** के अंतर्गत दायर अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए भेजा जाता है।**[**पैरा **17,18] [95-**ए**-**ई**]**

/

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2018 की सिविल अपील संख्या 3322-3323।

/

2016 के ए. सी. ओ. No.171 और 2015 के ए. पी. ओ. No.448 से उत्पन्न 2016 के आर. वी. डब्ल्यू. ओ. सं. 59 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सी. आर्यमा सिंदराम, कविन गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता, इंद्रनील घोष, कुणाल सिंह, सतीश कुमार, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, अपूर्व त्रिपाठी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

/

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंकज भाटिया, अजय चौधरी, डी. एन. शर्मा, राकेश सिन्हा, निपुण गोयल, ध्रुव सुराना, आशीष चौधरी, सुश्री भारती त्यागी, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का निर्णय कुरियन, जे. 1 द्वारा दिया गया था।देरी को माफ कर दिया गया।अनुमति दी गई।

/

2. अपीलार्थी एक सार्वजनिक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयर पश्चिम बंगाल सरकार के पास हैं। प्रत्यर्थी, जो 100 शेयर खरीदे गए शेयरों के 28.54 प्रतिशत का धारक है, जो मिलकर इसकी हिस्सेदारी 39.77 प्रतिशत बना देगा, ने शेयरों के पंजीकरण की मांग की।चूंकि, पंजीकरण पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी ने कंपनी विधि बोर्ड, कोलकाता बेंच, कोलकाता से संपर्क किया।अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी कंपनी व्यवसाय में एक प्रतियोगी द्वारा नियंत्रित है, और इसलिए, इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति देना सरकारी कंपनी के हित में नहीं होगा।हालाँकि, कंपनी विधि बोर्ड ने दलीलों को खारिज कर दिया और 16.09.2015 के आदेश के अनुसार पंजीकरण का निर्देश दिया। आदेश, प्रासंगिक सीमा तक, इस प्रकार हैः

/

/

“6. कंपनी की याचिका, जवाब, प्रत्युत्तर और तर्कों (मौखिक और लिखित) पर विचार करने के बाद, यह देखा गया है कि प्रतिवादी कंपनी पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम है जिसमें कुल जारी, अभिदान और चुकता शेयर पूंजी का 51.01% पश्चिम बंगाल सरकार के पास है जो 3,500/- रुपये के 454 इक्विटी शेयरों के अनुरूप है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनी 254 करोड़ रुपये के 254 इक्विटी शेयरों की पंजीकृत शेयरधारक होने के नाते प्रतिवादी कंपनी की सदस्य है। 3, 500/- प्रत्येक।जैसा कि कंपनी याचिका में कहा गया है, 02.07.2014 को या उसके आसपास, याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रत्यर्थी कंपनी के अतिरिक्त 100 शेयर भौतिक रूप से एक श्री शंकर नाइक से खरीदे और याचिकाकर्ता कंपनी ने दिनांकित 02.04.2014 पत्र के माध्यम से मूल शेयर प्रमाणपत्रों को प्रत्यर्थी कंपनी को याचिकाकर्ता कंपनी के नाम पर उक्त 100 शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित, मुहर लगाए गए और निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेखों के साथ अग्रेषित किया।लेकिन, उक्त संचार डाक समर्थन के साथ वापस आया "अस्वीकार" और इसलिए, याचिकाकर्ता कंपनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शेयर रजिस्टर में प्रतिवादी कंपनी को बुलाते हुए दिनांक 09.06.2014 का एक नोटिस जारी किया, जिसका जवाब ए द्वारा दिया गया था।

/

/

/

/

मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड बनाम सरकार और चौधरी उद्यम पी. वी. टी. लिमिटेड. [कुरियन, जे.] ए.

उत्तरदाता कंपनी दिनांकित 16.06.2014 संचार के माध्यम से।इसके बाद, एक बार फिर याचिकाकर्ता कंपनी ने 02.07.2014 दिनांकित पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता कंपनी के नाम पर हस्तांतरण के पंजीकरण को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिवादी कंपनी को विधिवत निष्पादित और मुहरबंद हस्तांतरण विलेखों के साथ सभी मूल शेयर प्रमाणपत्रों को अग्रेषित किया।इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रतिवादी कंपनी को दिनांकित 25.08.2014 का अनुस्मारक जारी करके मामले का पालन किया, लेकिन व्यर्थ रहा।नतीजतन, प्रतिवादी कंपनी को उपरोक्त 100 शेयरों के संबंध में याचिकाकर्ता कंपनी का नाम पंजीकृत मालिक के रूप में पंजीकृत करने और दर्ज करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए 11.09.2014 दिनांकित कानूनी नोटिस जारी किया गया था।इस संबंध में, प्रत्यर्थी कंपनी ने जवाब दिया है कि याचिकाकर्ता कंपनी की कार्रवाई SEBI अधिनियम के साथ-साथ शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियमों के विपरीत रही है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनी मेसर्स एम. के. जे. ग्रुप द्वारा नियंत्रित है जो उसी तरह के व्यवसाय में शामिल है जैसा कि प्रतिवादी कंपनी कर रही है और इसलिए, याचिकाकर्ता कंपनी का 100 इक्विटी शेयर खरीदने का इरादा प्रतिवादी कंपनी का नियंत्रण लेना है।यह भी उल्लेख किया गया है कि 13.03.2014 पर, याचिकाकर्ता कंपनी ने पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव, सार्वजनिक उद्यम प्रभाग के साथ-साथ प्रतिवादी कंपनी के प्रबंध निदेशक को अपने उक्त 254 शेयरों की बिक्री के लिए आवेदन कर दिया था।इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता कंपनी अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि अधिग्रहण का प्रश्न , जो कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम या अधिग्रहण विनियमन का उल्लंघन है, प्रत्यर्थी कंपनी के मामले में लागू नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी कंपनी के शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं।इतना ही नहीं, 100 शेयरों का अधिग्रहण इस तरह के हस्तांतरण के पंजीकरण के बाद भी प्रतिवादी कंपनी के नियंत्रण को नहीं बदल सकता है और न ही बदलेगा क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी के रूप में बनी रहेगी।यह वर्तमान संदर्भ में भी अप्रासंगिक है क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनी एम. के. जे. समूह द्वारा नियंत्रित है या कि प्रतिवादी कंपनी और एम. के. जे. समूह का व्यवसाय समान है।

/

/

/

/

/

/

6.1 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों अंतर्गत यह निस्संदेह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कंपनी को याचिकाकर्ता कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए मूल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ शेयर हस्तांतरण विलेख प्राप्त हुए, जो पहले से ही है।

/

88

/

[2018] 3 एस सी आर।

प्रत्यर्थी कंपनी में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक।एक तरफ, प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि 13.03.2014 पर, याचिकाकर्ता कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव, सार्वजनिक उद्यम प्रभाग के साथ-साथ प्रत्यर्थी कंपनी के प्रबंध निदेशक को अपने 254 शेयरों की बिक्री के लिए आवेदन किया था, दूसरी तरफ, याचिकाकर्ता कंपनी के इरादे पर संदेह उठाया गया है कि 100 इक्विटी शेयरों की कथित खरीद प्रत्यर्थी कंपनी का नियंत्रण संभालने के लिए है।इसके अलावा, प्रतिवादी कंपनी अधिवक्ता द्वारा याचिका दायर की गई है कि याचिकाकर्ता कंपनी मेसर्स एम. के. जे. समूह द्वारा नियंत्रित है और प्रतिवादी कंपनी और एम. के. जे. समूह का व्यवसाय समान है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार पर अकेले कंपनी की चुकता पूंजी का 51.01% बकाया है और इस तरह, एम. के. जे. समूह प्रतिवादी कंपनी का नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता है।वास्तव में, भले ही याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा अतिरिक्त 100 शेयरों की खरीद को ध्यान में रखा जाए, याचिकाकर्ता कंपनी की कुल हिस्सेदारी केवल 39.77% होगी।इसके अलावा, प्रत्यर्थी कंपनी के संगठन के अनुच्छेद का अनुच्छेद 44 बोर्ड को शेयरों के हस्तांतरण को अस्वीकार करने का अधिकार देता है और जब ऐसे शेयरों का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता कंपनी के किसी भी शेयर पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं है और साथ ही, शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया जाता है।इस प्रकार, शेयरों के हस्तांतरण में कोई बाधा नहीं लगती है और इसलिए, याचिकाकर्ता कंपनी को अपने नाम पर शेयरों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।6.2 ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में संबंधित अनुच्छेद 44 में निर्दिष्ट शर्तों को याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा विधिवत भरा गया है और हस्तांतरण के पंजीकरण को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रतिवादी कंपनी पर नियंत्रण के अधिग्रहण के संदेह पर याचिकाकर्ता कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण का पंजीकरण न करने का कारण आधारहीन और निराधार है।इसलिए, न्याय के हित में, मैं एतद्द्वारा प्रत्यर्थी कंपनी को इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी के नाम पर आक्षेपित 100 शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने और उसके बाद सदस्यों के रजिस्टर में उपयुक्त प्रविष्टियां करने का निर्देश देता हूं। "

/

/

/

/

/

/

/

89

मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड बनाम सरकार और चौधरी उद्यम पी. वी. टी. लिमिटेड. [कुरियन, जे.]
ए.

/

3. 2014 के सी. पी. सं. 151 में कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित आदेश को अपीलार्थी द्वारा कंपनी विधि 1956 की धारा 10 एफ के अंतर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।अपील ज्ञापन में विधि के निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए थेः

“XXV। इसके लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार और निर्धारण के लिए विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैंः

/

ए। क्या लर्नड कंपनी विधि बोर्ड को पहले इस बात पर विचार करना था कि क्या अपील कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 (4) द्वारा निर्धारित समय के भीतर दायर की गई है, जो अपील को स्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की पूर्व शर्त है और अपील को स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए था?बी। क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 (4) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर अपील दायर की गई थी या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करना और अपील को अस्वीकार करना लर्नड कंपनी विधि बोर्ड का अंतर्निहित कर्तव्य और दायित्व था?

/

/

ग. क्या लर्नड कंपनी विधि बोर्ड को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि किसी भी स्थिति में 2 अप्रैल, 2014 को किए गए शेयरों के हस्तांतरण की रिकॉर्डिंग के लिए आवेदन को उसी दिन प्रत्यर्थी को दिए गए पत्र द्वारा अस्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया था और 16 जून, 2014 से 60 दिनों के भीतर दायर नहीं की गई अपील को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 (4) के अंतर्गत वर्जित कर दिया गया था।

/

घ. क्या लर्नड कंपनी विधि बोर्ड को 9 जून, 2014 के अपने अधिवक्ता पत्र में प्रतिवादियों के मामले को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि 29 सितंबर, 2014 को दायर की गई अपील कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 (4) के अंतर्गत निर्धारित समय से परे थी और यह स्वीकार्य नहीं थी?

/

ई. क्या विद्वान कंपनी विधि बोर्ड किसी आवेदक के पक्ष में शेयर रजिस्टर में सुधार का निर्देश दे सकता है जब आवेदक कंपनी द्वारा नियंत्रित है जो कंपनी के समान व्यवसाय में एक प्रतियोगी है?

/

च. क्या कंपनी विधि बोर्ड को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि एम. के. जे. समूह की अपीलार्थी तक पहुंच होगी।

/

/

और उसके व्यापार रहस्यों और प्रस्तुत निविदाओं और याचिकाकर्ता के नीतिगत निर्णय और अपीलार्थी और बड़े पैमाने पर जनता के हित के विपरीत कार्य करना?

छ. क्या कंपनी विधि बोर्ड विधि कारण के बिना आक्षेपित आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर शेयर पंजीकरण में सुधार का निर्देश दे सकता है?ज. क्या कंपनी विधि 2013 की अधिसूचना पर कंपनी विधि बोर्ड कंपनी विधि 1956 के निरस्त प्रावधान को प्रभावी बनाने का हकदार है?

/

आई. क्या विद्वान कंपनी विधि बोर्ड किसी पक्ष की दलीलों और दलीलों पर पूरी तरह से विचार किए बिना आदेश पारित कर सकता है?

/

जे. क्या कंपनी विधि बोर्ड एक अनुचित आदेश पारित करके अपीलार्थी के तर्क को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित कर सकता है?

/

के. क्या धारा 58 और 59 में निर्धारित समय अवधि के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रावधान अनिवार्य है?

एल. क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 58 और 59 की अधिसूचना को देखते हुए, लर्नड कंपनी विधि बोर्ड को केवल न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले उक्त प्रावधान को देखते हुए वहां एक आवेदन अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था? "4. उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.10.2015 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58/59 के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर सीमा की अवधि से परे भी विचार किया जाना चाहिए, इसलिए अपील में विधि का कोई अन्य प्रश्न नहीं लिया गया था।प्रासंगिक भाग को उद्धृत करने के लिए:

/

/

“न्यायालय ः:प्रस्तावित अपील में विधि का एकमात्र प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि क्या कंपनी विधि बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 के अंतर्गत याचिका प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, जो उसकी उप-धारा (4) में परिकल्पित अवधि से आगे है। "

/

5. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.10.2015 के आदेश को 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 35029 में ए द्वारा चुनौती दी गई थी।

/

91

मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड बनाम सरकार और चौधरी उद्यम पी. वी. टी. लिमिटेड. [कुरियन, जे.]
ए.

अपीलार्थी।विशेष अनुमति याचिका को उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई थी।04.01.2016 दिनांकित उक्त आदेश इस प्रकार है:

“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है।उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ अनुमति दी जाती है।तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने योग्यता के आधार पर विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया है। "

/

6. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने निर्णय को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया था।इसे 08.08.2016 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थी को दी गई स्वतंत्रता एक उचित समीक्षा दायर करने के लिए थी न कि दिनांकित 15.10.2015 के निर्णय को याद करके नई सुनवाई की मांग करने के लिए। उद्धृत करने के लिएः

/

“न्यायालयःवर्तमान आवेदन का आधार 4 जनवरी, 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश प्रतीत होता है, जिसे 15 अक्टूबर, 2015 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई थी।माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त स्वतंत्रता प्रदान की।यह आवेदन 15 अक्टूबर, 2015 के आदेश पर नए सिरे से या नए सिरे से विचार करने के अनुरोध के साथ एक विशिष्ट याचिका पर दायर किया गया है कि समन्वय पीठ ने 10 एफ अपील को खारिज करते समय विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार नहीं किया। याचिकाकर्ता वास्तव में एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश की समीक्षा की मांग करता है। आवेदन के साथ समीक्षा ज्ञापन भी नहीं है।आवेदन फॉर्म में नहीं है।याचिकाकर्ता ने आदेश की समीक्षा के लिए समन्वय पीठ से भी संपर्क नहीं किया है।ऐसी परिस्थितियों अंतर्गत यह आवेदन खारिज कर दिया जाता है।तथापि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। "

/

/

/

/

7. अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 08.08.2016 को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।

8. दिनांक 11.11.2016 के आदेश द्वारा, यह स्पष्ट किया गया था कि यह अपीलार्थी के लिए उचित समीक्षा दायर करने के लिए खुला होगा।तदनुसार, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा दायर की।उक्त पुनरीक्षण याचिका थी

/

उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए खारिज कर दिया कि समीक्षा में सुधार करने में सक्षम कोई गलती नहीं थी और सुधार केवल एक वरिष्ठ मंच द्वारा किया जा सकता था।उच्च न्यायालय का दिनांकित 15.09.2017 आदेश इस प्रकार हैः

"न्यायालय ः- 15 अक्टूबर, 2015 के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए उद्धृत आधार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 एफ के अंतर्गत मूल अपील के गुण-दोष से संबंधित हैं, जो संबंधित आदेश से स्पष्ट है।हर गलती समीक्षा में सुधार करने में सक्षम नहीं होती है।विधि की गलती या तथ्यों की सराहना में गलती की जा सकती है, लेकिन यह एक उच्च मंच द्वारा सुधार के लिए उत्तरदायी होगा, न कि समीक्षा के माध्यम से।

/

/

चूंकि समीक्षा का कोई आधार नहीं बनाया गया है, इसलिए 2016 के आर. वी. डब्ल्यू. No.59 को आग्रह किए गए आधारों के गुण-दोष में जाए बिना खारिज कर दिया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। "

/

9. वर्तमान अपील 15.10.2015 और 15.09.2017 दिनांकित आदेशों को समग्र रूप से चुनौती देते हुए दायर की गई है।

10. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. आर्यमा सुंदरम और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को व्यापक रूप से सुना है।

/

11. शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार और अपीलीय उपाय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं।यह प्रावधान प्रासंगिक समय पर लागू हुआ था।खंड इस प्रकार हैः

/

"58. पंजीकरण से इनकार करना और इनकार के खिलाफ अपील करना।-

(1) यदि शेयरों द्वारा सीमित कोई निजी कंपनी, चाहे वह अपने लेखों के अंतर्गत कंपनी की किसी भी शक्ति के अनुसरण में हो या अन्यथा, कंपनी में किसी सदस्य की किसी प्रतिभूति या ब्याज के हस्तांतरण या विधि के संचरण को पंजीकृत करने से इनकार करती है, तो वह उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन हस्तांतरण का साधन या ऐसे संचरण की

सूचना कंपनी को दी गई थी, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता या ऐसे संचरण की सूचना देने वाले व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, इनकार करने का कारण बताते हुए सूचना भेजेगी।

/

/

93

मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड बनाम सरकार और चौधरी उद्यम पी. वी. टी. लिमिटेड. [कुरियन, जे.]
ए.

/

(2) उप-धारा (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, किसी सार्वजनिक कंपनी में किसी भी सदस्य की प्रतिभूतियाँ या अन्य हित स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होंगेः

बशर्ते कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के संबंध में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई अनुबंध या व्यवस्था अनुबंध के रूप में लागू करने योग्य होगी।

/

(3) हस्तांतरणकर्ता नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर या कंपनी द्वारा कोई नोटिस नहीं भेजे जाने की स्थिति में, उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन हस्तांतरण का साधन या संचरण की सूचना, जैसा भी मामला हो, कंपनी को दी गई थी, अस्वीकार के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

/

(4) यदि कोई सार्वजनिक कंपनी पर्याप्त कारण के बिना उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करती है जिस दिन हस्तांतरण का साधन या संचरण की सूचना कंपनी को दी जाती है, तो हस्तांतरणकर्ता, ऐसे इनकार के साठ दिनों की अवधि के भीतर या जहां कंपनी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, हस्तांतरण के साधन या संचरण की सूचना के वितरण के नब्बे दिनों के भीतर, न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

/

(5) न्यायाधिकरण, उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत की गई अपील पर विचार करते समय, पक्षों को सुनने के बाद, या तो अपील को खारिज कर सकता है, या आदेश द्वारा -

/

(क) यह निर्देश देता है कि हस्तांतरण या संचरण कंपनी द्वारा पंजीकृत किया जाएगा और कंपनी आदेश की प्राप्ति के दस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश का पालन करेगी; या

/

(ख) रजिस्टर में सीधे सुधार करना और कंपनी को किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा किए गए नुकसान, यदि कोई हो, का भुगतान करने का भी निर्देश देना।

(6) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह एक वर्ष से कम नहीं, बल्कि तीन वर्ष तक के कारावास और एक लाख रुपये से कम नहीं, लेकिन पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। "

/

(बल दिया गया)

/

94

/

[2018] 3 एस सी आर।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 (2) अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी में किसी भी सदस्य की प्रतिभूतियां या ब्याज स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं।हालांकि, धारा 58 (4) के अंतर्गत , सार्वजनिक कंपनी के लिए पर्याप्त कारण के लिए प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार है।उस हद तक, धारा 58 (4) को धारा 58 (2) के अंतर्गत अनुमत निशुल्क हस्तांतरण पर एक सीमित प्रतिबंध के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 एफ में प्रावधान है कि कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विधि के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।पर्याप्त कारण पर स्थानांतरण के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार विधि का प्रश्न है और क्या इनकार के लिए दिखाया गया कारण किसी दिए गए मामले में पर्याप्त है या नहीं, विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न हो सकता है।

/

/

13. तत्काल मामले में, कंपनी द्वारा शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।चूँकि कंपनी विधि बोर्ड ने सभी उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई दलीलों पर गौर किया है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वे दलीलें अपीलार्थी द्वारा शेयरों को हस्तांतरित करने से इनकार करने के लिए ली गई आधार हैं।14. अपीलार्थी ने अपील के ज्ञापन में कई आधार लिए हैं और इन पहलुओं पर विधि पर भी सवाल उठाए हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि

अपील में जोर दिए गए विधि के मुख्य प्रश्नों में से एक सीमा से संबंधित है।लेकिन अपील ज्ञापन में लिए गए कई आधारों और विशेष रूप से अपील में उठाए गए विधि के प्रश्न ों और आधारों को देखने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सीमा पर विधि के प्रश्न के अलावा विधि के अन्य प्रश्न उठाए थे।इसलिए, उच्च न्यायालय दिनांकित 15.10.2015 आदेश में अपने विचार में गलत हो गया है।

/

/

कि "वर्तमान अपील में विधि का एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कंपनी विधि बोर्ड के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अंतर्गत याचिका की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, जो उसकी उप-धारा 4 में परिकल्पित अवधि से परे है"।

/

15. हालाँकि, आदेश 15.09.2017 के अनुसार, उच्च न्यायालय ने समीक्षा पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह समीक्षा के दायरे से बाहर है और इसे केवल एक उच्च मंच द्वारा ही ठीक किया जा सकता है।16. हमें डर है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया रुख हमारे द्वारा समझाई गई तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और ऊपर विश्लेषण की गई कानूनी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।अपीलार्थी ने अपील में विशिष्ट आधार लेने और पर्याप्त आधार पर हस्तांतरण के पंजीकरण से इनकार करने के अपने अधिकार के बारे में विधि के सवाल उठाने के बाद, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 एफ के अंतर्गत एक वैधानिक अपील होने के कारण, उच्च न्यायालय को विधि के अन्य प्रश्नों के साथ-साथ इस पर भी विचार करना चाहिए था।

/

/

95

मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड बनाम सरकार और चौधरी उद्यम पी. वी. टी. लिमिटेड. [कुरियन, जे.]

/

17. जैसा कि हमें कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आधारों के माध्यम से लिया गया है, हम उस स्तर से मामले पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी विधि बोर्ड का विचार था कि शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब हस्तांतरण अन्यथा किसी भी विधि के अंतर्गत अवैध या अस्वीकार्य हो। धारा 58 (4) में प्रयुक्त "पर्याप्त कारण के बिना" अभिव्यक्ति को देखते हुए, उस दृष्टिकोण की सराहना करना मुश्किल है।इनकार विधि के उल्लंघन या किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर

हो सकता है।किसी भी स्थिति में हितों का टकराव भी एक कारण हो सकता है।पंजीकरण से इनकार करने के लिए दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में क्या यह पर्याप्त है, यह कंपनी विधि बोर्ड को तय करना है क्योंकि पीड़ित पक्ष को अपील करने का विधि दिया गया है। कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार किया जाना चाहिए था कि पूरा हस्तांतरण प्रत्यर्थी कंपनी की पृष्ठभूमि में भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है।18. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम नहीं सोचते कि हमें विवाद के गुण-दोषों पर अधिक विस्तार से जाना चाहिए। कंपनी विधि बोर्ड, कोलकाता पीठ, कोलकाता द्वारा दिनांकित 16.09.2015 आदेश, 2015 के ए. पी. ओ. संख्या 448 में 2015 के ए. सी. ओ. संख्या 199 में दिनांकित 15.10.2015 आदेश और 2016 के आर. वी. डब्ल्यू. ओ. 59 में दिनांकित 15.09.2017 और 2015 के ए. पी. ओ. 448 में 2016 के ए. सी. ओ. 171 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।मामला कंपनी विधि बोर्ड, अब राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अंतर्गत दायर अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए भेजा जाता है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायाधिकरण कंपनी विधि बोर्ड के दिनांकित आदेश, उच्च विधि या इस विधि के आदेशों में से किसी भी अवलोकन और निष्कर्ष से अप्रभावित नए सिरे से आदेश पारित करेगा।हम न्यायाधिकरण को शीघ्रता से आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं क्योंकि अपील वर्ष 2014 की है।अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।19. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

/

/

/

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/